बिहार सरकार

वित्त विभाग

सम्राट चौधरी

उप मुख्यमंत्री (वित्त), बिहार सरकार

बजट भाषण

2025 - 26

'कौटिल्य अर्थशास्त्र'

।। अलब्धलाभार्था लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च।।

अर्थ: जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना,
जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए राज्य का वार्षिक आय–व्ययक (बजट) अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

महोदय, समृद्ध और सशक्त भारत निर्माण के लिए निर्धारित किये गये विजन–2047 के साथ–साथ समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार करने के हमारे प्रयासों को द्रुत गति प्रदान करने के उद्देश्य से आज मैं बिहार सरकार का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अवगत हैं कि वर्षों की अराजकता के बाद राज्य को विकास के पथ पर लाने हेतु पिछले लगभग दो दशकों से नीतीश सरकार ने सफलतापूर्वक प्रयास किया है।

महोदय, आज बिहार के विकास के लिए हमारे प्रयासों को राज्य की जनता ने जनसमर्थन देकर सराहा है। इसके लिए हम उनका अभिनन्दन करते हैं। साथ ही, हमें अहसास है कि हमारी सरकार द्वारा वर्षों के अथक प्रयास से तैयार किए गए राज्य के विकास के लिए जरूरी मजबूत ढाँचा के आधार पर नये बिहार के निर्माण के लिए और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इसके लिए हमारे साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मार्गदर्शन और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व की शक्ति एवं दृष्टि है, जो हमारे लिए विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रेरणा का कार्य करती है।

महोदय, राज्य के विकास के हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र **''सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास''** बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प **''न्याय के साथ विकास''** हमारे लिए प्रेरणादायी शक्ति का कार्य करती है। एक ओर जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है, वहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने अपने राजकोषीय संसाधनों के अतिरिक्त केन्द्र की सरकार से मिल रहे सहयोग को भी राज्य के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग में लाया है।

महोदय, इस वर्ष प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं। पिछले वर्ष के केन्द्रीय बजट में देश के विकास के लिए पूर्वोदय की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई, उसमें बिहार के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए थे। केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार समग्र विकास के लिए और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है।

महोदय, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के आने से पहले, वर्ष 2004—05 का बजट 23,885 करोड़ रुपए का था, जो वर्ष 2025—26 में बढ़ कर 3.17 लाख करोड़ रुपये का हो चुका है। महोदय, न केवल बिहार के बजट के आकार में वृद्धि हुई है, बल्कि नीतीश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन को भी स्थापित किया है। राज्य सरकार ने अपने वित्तीय प्रबंधन को तय मानकों के भीतर रखा है। राज्य सरकार ने बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के सर्वांगीण विकास को आगे बढाने में किया है, जिसे विभिन्न संकेतकों में समय के साथ हुए सुधार में देखा जा सकता है। खास कर आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य इस दौर में हुए हैं। राज्य की जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है उस विश्वास के माध्यम से हम राज्य को विकास के विभिन्न आयामों के नए स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पित हैं।

कुल मिलाकर मैं राज्य की आर्थिक एवं राजकोषीय नीतियों के बारे में संक्षिप्त रूप से सदन को अवगत कराना चाहूँगा। हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए जहाँ एक ओर राजस्व बचत को वर्ष 2024—25 के 1,121. 41 करोड़ रूपये से बढ़ाकर वर्ष 2025—26 में 8,831.18 करोड़ रूपये किया है, वहीं दूसरी ओर राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.00 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर रखा है।

इस बजट में अनेकों संस्थागत नीतियों को सहज एवं सुगम बनाया गया है। साथ ही, निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है तथा राज्य के आर्थिक विकास की गति को तेजी प्रदान करने के लिए रोजगारयुक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों एवं आम जनता की जानकारी हेतु **वर्ष 2025–26 बजट का सारांश** सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य का बजट आकार 3,16,895.02 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट आकार 2,78,725.72 करोड़ रुपये से 38,169.30 करोड़ रुपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में वार्षिक स्कीम का बजट अनुमान 1,16,750 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान 1,00,000 करोड़ रुपये से 16,750 करोड़ रुपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,00,135.42 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान 1,78,706.09 करोड़ रुपये से 21,429.33 करोड़ रुपये अधिक है।

- वर्ष 2025–26 में कुल व्यय में स्कीम व्यय 36.84 प्रतिशत तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 63.16 प्रतिशत है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल पूंजीगत व्यय 64,894.76 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है जो कि कुल व्यय का 20.48 प्रतिशत है, जिसमें:

- **पूंजीगत परिव्यय–** वर्ष 2025–26 में 40,531.84 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 5,899.66 करोड़ रुपये, सामाजिक सेवाओं में 9,369.35 करोड़ रुपये एवं आर्थिक सेवाओं में 25,262.83 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है।

- **ऋण अदायगियाँ –** वर्ष 2025–26 में 22,819.87 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, जिसमें 1,694.96 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार के ऋणों की है एवं 21,124.91 करोड़ रुपये की राशि पूर्व में लिये गये आंतरिक ऋणों से संबधित है।

- **ऋण एवं पेशागियाँ –** वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार द्वारा 1,543.05 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 1,000 करोड़ रुपये, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 395.95 करोड़ रुपये, बिजली परियोजना के कम्पनियों को कर्ज के लिए 78.10 करोड़ रुपये, परिवहन सेवाओं हेतु 30 करोड़ रुपये एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए 39 करोड़ रुपये दिया जाना है। पूर्व में दिये गये ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 525.40 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 1,017.65 करोड़ रुपये दिया जाना प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल राजस्व व्यय 2,52,000.26 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 79.52 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान 2,25,677 करोड़ रुपये से 26,323.26 करोड़ रुपये अधिक है।

- वर्ष 2025–26 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 1,60,696. 69 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें वेतन (सहायक अनुदान वेतन एवं संविदागत वेतन सहित) हेतु 81,473.45 करोड़ रुपये, पेंशन हेतु 33,389.43 करोड़ रुपये, ब्याज भुगतान हेतु 23,013.94 करोड़ रुपये एवं ऋण वापसी पर 22,819.87 करोड़ रुपये अनुमानित है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2,60,831.44 करोड़ रुपये अनुमानित है जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान 2,26,798.40 करोड़ रुपये से 34,033.04 करोड़ रुपये अधिक है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के अपने स्त्रोतों से कर राजस्व के रूप में 59,520 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है जिसमें 46,500 करोड़ रुपये वाणिज्यकर, 8,250 करोड़ रुपये स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 4,070 करोड़ रुपये परिवहन कर एवं 700 करोड़ रुपये भू–राजस्व से प्राप्त होगा।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के अपने स्त्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 8,220.

57 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान 7,325.86 करोड़ रुपये की तुलना में 894.71 करोड़ रुपये अधिक है। इसमें खनन से 3,850 करोड़ रुपये, ब्याज प्राप्तियों से 2,474.90 करोड़ रुपये शामिल है।

- **ऋण उगाही –** वित्तीय वर्ष 2025–26 में 55,737.79 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 51,758.04 करोड़ रुपये, नाबार्ड से 2,500 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आवास बैंक से 200 करोड़ रुपये एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से 200 करोड़ रुपये तथा बाह्य एजेंसियों यथा एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक इत्यादि से 1,079.75 करोड़ रुपये कुल 55,737.79 करोड़ रुपये का सकल (Gross) ऋण लिया जाना प्रस्तावित है।

- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु निर्धारित 9,204.96 करोड़ रुपये के अन्तर्गत राज्य आपदा रिस्पौंस कोष (SDRF) मद में 1,721 करोड़ रुपये, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 4,012 करोड़ रुपये एवं नगर निकायों के लिए 2,160 करोड़ रुपये तथा स्वास्थ्य प्रक्षेत्रों के लिए 1,311.96 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

- षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थानीय निकायों को 7,818.93 करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तावित है जिसमें 4,667.90 करोड़ रुपये Devolution के रुप में तथा 3,151.03 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7,818.93 करोड़ रुपये में पंचायती राज संस्थाओं को 5,082.31 करोड़ रुपये तथा शहरी स्थानीय निकायों को 2,736.63 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

- वर्ष 2025–26 में राजस्व अधिशेष 8,831.18 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 32,718.31 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10,97,264 करोड़ रुपये का 2.98 प्रतिशत है।

केन्द्र सरकार से प्राप्ति

- केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वर्ष 2024–25 में 1,13,011.92 करोड़ रुपये अनुमानित थी। वर्ष 2025–26 में बजट अनुमान 1,38,515.85 करोड़ रुपये अनुमानित की गयी है।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 54,575.02 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट अनुमान 52,160.62 करोड़ रुपये से 2,414.40 करोड़ रुपये अधिक है। वर्ष 2025–26 में अनुमानित 54,575.02 करोड़ रुपये की मदवार राशि निम्नवत् है–

क्र.	मदें	राशि (करोड़ रुपये में)
1	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम	45,360.46
2	15वें वित्त आयोग जिसमें	9,204.96
(क)	राज्य आपदा राहत कोष	1,721.00
(ख)	ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान	4,012.00
(ग)	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	2,160.00
(घ)	स्वास्थ्य प्रक्षेत्र को अनुदान	1,311.96
3	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	9.60
	कुल	**54 ,575.02**

- वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए 9.60 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है।

Telegram-Shixadixa

ऋण प्रबंधन

- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2023–24 के अन्त में कुल बकाया ऋण 3,32,740.90 करोड़ रुपये है जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 38.94 प्रतिशत है और यह 15वें वित्त आयोग की अनुशंसित अधिसीमा 40.4 प्रतिशत के अधीन है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कर्णांकित राशि

- अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों /जनजातियों के समुदाय के सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके और राशि का व्यय अन्यत्र नहीं किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जातियों के लिए 19,648.86 करोड़ रुपये एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 1,735.04 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है।

सर्वाधिक खर्च

- राज्य सरकार वर्ष 2025–26 में शिक्षा पर 60,964.87 करोड़ रुपये का व्यय करेगी। स्वास्थ्य पर 20,035.80 करोड़ रुपये, राज्य के शहरी एवं ग्रामीण सड़कों पर ग्रामीण कार्य विभाग तथा पथ निर्माण विभाग को 17,908.18 करोड़ रुपये, गृह विभाग को 17,831.21 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण विकास पर 16,093.46 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 13,484.35 करोड़ रुपये तथा समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संबंधित कल्याण विभागों का समेकित बजट अनुमान 13,368.47 करोड़ रुपये है।

महोदय, अब मैं वर्ष 2025–26 के लिए प्रमुख घोषणाओं की जानकारी सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

1. राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण एवं समुचित विकास के लिए कुल 1,289 करोड़ रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जायेगा।

2. राज्य सरकार द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव कन्ज्यूमर फेडरेशन (NCCF), नेफेड इत्यादि से समन्वय कर अरहर, मूँग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करते हुए क्रय किया जायेगा।

3. राज्य के सभी अनुमंडलों एवं सभी प्रखंडों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जायेगी।

4. प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) के उत्पाद को उचित मूल्य एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन (VEGFED) द्वारा 'सुधा' के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर 'तरकारी सुधा' आउटलेट खोला जायेगा।

5. वर्तमान में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन के तहत कुल तीन संघों के अधीन अब तक कुल 302 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) का गठन किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के शेष सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) का गठन किया जायेगा और संघ से संबद्ध किया जायेगा।

6. राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मण्डप का निर्माण कराया जाएगा ताकि बहुत ही कम शुल्क पर विवाह भवन एवं विवाह से संबंधित सभी सुविधायें उपलब्ध हो सकें तथा इसका संचालन भी महिला स्वयं समूहों द्वारा ही कराया जायेगा।

7. पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी एवं अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित व्यापार स्थल (Vending Zone) में महिलाओं के लिए स्थल को कर्णांकित किया जाएगा।

8. प्रायोगिक तौर पर पटना में चलन्त व्यायामशाला (Gym on Wheels) की शुरूआत की जाएगी तथा इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिलाएँ होंगी।

9. राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में एक माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किये जायेंगे।

10. राज्य के सभी जिलों में बस स्टैंड को चरणबद्ध तरीके से आधुनिक रूप से विकसित किया जायेगा ।

11. ''बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2025'' तैयार की जा रही है, जो राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने एवं निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एक गतिशील तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह नीति वर्तमान में निवेशकों की जरूरतों को यथासंभव सहयोग देते हुए निवेश के लिए राज्य को एक आकर्षक केन्द्र के रूप में विकसित करने में सहयोग करेगी। इसका लाभ राज्य में आर्थिक गतिविधियों के विकास के साथ–साथ रोजगार सृजन के रूप में भी होगा।

12. स्थायी और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करके राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम मूल्यवर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु ''बिहार बॉयोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, 2025'' लागू की जाएगी। पर्यावरणीय चुनौतियों एवं नवीकरणीय उर्जा विकल्पों की बाजार में माँग के कारण निजी कंपनियों/तेल विपणन कम्पनियों द्वारा राज्य में कम्प्रेस्ड बॉयोगैस इकाईयाँ स्थापित की जाएगी। यह हमारी ऊर्जा जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बिना प्रभावित किए हुए स्वच्छ स्रोतों से पूर्ण करने में सहयोग करेगी।

13. किसानों की आय में वृद्धि, पर्यावरणीय स्थिरता के साथ सतत् औद्योगिक विकास और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने तथा राज्य में रोजगार के नये अवसर

विकसित करने के उद्देश्य से ''बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2025'' लाई जाएगी। महोदय, बिहार में खाद्य–प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमों के लिए वृहत संभावना है, जिसको बढ़ावा देने में यह नीति मील का पत्थर साबित होगी। इससे राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादों आधारित इनपुट के लिए किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। साथ ही, इन उत्पादों के आधार पर होने वाले मूल्य संवर्द्धन की प्रक्रिया में रोजगार के कई अवसर भी सृजित होंगे।

14. बिहार को एक प्रमुख फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केन्द्र के रूप में बढ़ावा देने, फार्मास्युटिकल क्षेत्रों द्वारा पर्यावरण–अनुकूल विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देने, अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास के साथ शैक्षणिक और औद्योगिक विकास के अवसरों को प्रोत्साहित करके फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए एक नवाचार और अनुसंधान एवं विकास केन्द्र बनाने तथा राज्य में रोजगार सृजन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ''बिहार फार्मास्युटिकल प्रमोशन पॉलिसी, 2025'' लागू की जाएगी।

15. बिहार में प्लास्टिक विनिर्माण क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस हेतु राज्य में प्लास्टिक विनिर्माण के लिए ''बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, 2025'' लागू की जाएगी।

16. उद्यमिता विकास संस्थान का जीर्णोद्धार कर इसे 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जायेगा।

17. राज्य के प्रमुख शहरों मे कामकाजी महिलाओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु पृथक नियमावली एवं कार्य योजना तैयार किया जाएगा।

18. गुड़ के लिये एक ''सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स'' की स्थापना पूसा (समस्तीपुर) में की जायेगी।

19. देश के चयनित स्थानों यथा– हैदराबाद, बेंगलुरू, मुंबई, दिल्ली एनसीआर,

कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबन्धन केंद्र (Migration Counselling cum Registration Centres) स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लाभ मिल पाएगा।

20. वर्त्तमान में राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में अंगीभूत/राजकीय डिग्री महाविद्यालय नही हैं। इन प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से एक–एक डिग्री महाविद्यालय (सरकारी/निजी) की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी।

21. वर्ग 01 से 10 तक के सामान्य श्रेणी के छात्रों (अल्पसंख्यक सहित) की छात्रवृति दर को दोगुना किया जायेगा।

22. निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किये जायेंगे।

23. निजी जन भागीदारी (PPP) के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जायेंगे।

24. राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जायेगा।

25. राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा।

26. सम्पूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में बिहार राज्य के सभी 9 प्रमण्डलों के जिला मुख्यालयों में 108 चिकित्सा केन्द्रों को स्थपित किया जाएगा।

27. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज हेतु ''बिहार कैंसर केयर सोसाईटी'' की स्थापना की जायेगी।

28. बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी।

29. ''मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना'' अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा–I से X तक में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जायेगा, जिसपर प्रतिवर्ष अतिरिक्त 875.77 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है।

30. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को दिये जाने वाले प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दर को दोगुना किया जायेगा, जिस पर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त लगभग 260 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है।

31. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना अन्तर्गत छात्रावास अनुदान की वर्त्तमान दर 1,000 रुपये प्रतिमाह को दोगुना कर 2,000 रुपये प्रतिमाह किया जायेगा।

32. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड, जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है तथा पूर्व से आवासीय विद्याालय संचालित नहीं है, में एक–एक 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के आलोक में 14 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025–26 में कराया जायेगा।

33. बिहार के सभी प्रमंडलों में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखण्ड में कुल 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की योजना है।

34. प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

35. स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की कम्प्यूटिंग एवं स्टोरेज (Computing and Storage) क्षमता को बढ़ाने हेतु Phase-II की योजना बनायी गयी है, जिसके तहत आगे

आने वाले वर्षों में 500 से अधिक Websites / Portals / Applications होस्ट किये जा सकेंगे।

36. किसी भी प्रकार के साईबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ अवरूद्ध नहीं हों, इसके लिए डाटा सेंटर हेतु रिकवरी सेवाएँ होना आवश्यक है। इसके लिए डिजास्टर रिकवरी (डी०आर०) एण्ड बिजनेस कंटीन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

37. राज्य के प्रमुख शहरों मे महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक एवं कण्डक्टर सभी महिलाएँ होंगी।

38. चालक एवं कण्डक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से चालक, कण्डक्टर एवं डिपो मेन्टेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की जायेगी।

39. महिला स्व–रोजगार को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई–रिक्शा एवं दो पहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा।

40. राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएँ होंगी।

41. राज्य के नहर के किनारे खाली जगहों तथा बाँधों पर सोलर पॉवर प्लांट अधिष्ठापित किये जायेंगे।

42. मैं गर्व के साथ ''बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड'' की घोषणा करता हूँ। इसमें प्रारंभिक सीड फंडिंग के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करेगा, जो बिहार को जलवायु–अनुकूलन एवं कार्बन–न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा।

जलवायु वित्त को गतिशील करने में बिहार के नेतृत्व और हाल ही में स्वीकृत जलवायु अनुकूलन एवं न्यून कार्बन विकास पद्धति को लागू करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के साथ मिश्रित करके यह फंड हमारी चुनौतियों को अवसरों में बदल देगा। इससे हमारी कृषि को जलवायु–अनुकूल बनाने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने एवं हमारे युवाओं के लिए हरित रोजगार का सृजन करने में सहायता मिलेगी। बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड 'हरित बिहार, समृद्ध बिहार' की हमारी दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक प्रगति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। यह अग्रणी पहल बिहार को भारत के अग्रिम राज्यों में खड़ा करती है, जहां हम अपने किसानों के हितों की रक्षा करने, समुदायों को सशक्त बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए नवीन वित्तीय समाधान विकसित कर रहे हैं।

43. राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ रुपये की लागत से Bihar Clean Air Transformation परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

44. पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरूआत की जायेगी। इसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा।

45. प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को पर्यटन गाईड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

46. पूर्णिया हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू किया जायेगा।

47. राजगीर, सुल्तानगंज (भागलपुर) एवं रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जायेगी। इसी प्रकार छोटे हवाई अड्डा यथा, भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वीरपुर (सुपौल), मधुबनी, मुंगेर और सहरसा हवाई अड्डा के

साथ–साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इन हवाई अड्डों को 19 सीटों तक की क्षमता वाले छोटे विमानों के संचालन के लिए तैयार किया जाएगा। ये सभी योजनाएं बिहार में हवाई संपर्कता को मजबूती प्रदान करेगी और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

48. देश के कुछ अन्य प्रमुख मेट्रो शहरों (दिल्ली और मुम्बई के अलावा) में बिहार एकीकृत केन्द्र (Integrated Centre of Bihar) की स्थापना की जायेगी, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगें यथा : (i) बिहार की पारम्परिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार–प्रसार, (ii) बिहार की लोक कला एवं संस्कृति के प्रसार के साथ–साथ सांस्कृतिक पर्वों एवं त्योहारों का आयोजन, (iii) बिहारी खाद्य व्यंजनों का प्रचार–प्रसार, (iv) बिहार में निवेश हेतु Investment Promotion Cell का कार्यालय, (v) बिहार फॉउन्डेन्शन का कार्यालय तथा (vi) बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन/बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों के लिए एक समेकित केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

49. महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आस–पास आवासन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराये पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

50. वित्तीय वर्ष 2025–26 में मौसम संबंधित आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ एवं सक्षम मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (Multi Hazard Early Warning System) के अन्तर्गत एक हाईब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क (Hybrid Doppler Weather Radar Network) के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिम चम्पारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की जाएगी।

51. वित्तीय वर्ष 2025–26 में निबंधन की प्रक्रिया को राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में पूर्णतः Paperless किया जायेगा। देश या देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों

द्वारा भी ऑनलाईन निबंधन किया जा सकेगा। Paperless निबंधन से पक्षकारों को भौतिक रूप से दस्तावेज तैयार नहीं करना होगा, इससे Go Green योजना को बढ़ावा मिलेगा।

52. हमारी सरकार ने बड़ी नदियों पर पुलों की संख्या एवं उनकी क्षमता बढ़ाकर राज्य के यातायात की सुविधा में अभूतपूर्व बदलाव लाया है और माननीय मुख्यमंत्री का सपना 'राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुँचने' को साकार किया है। अब हम इस यात्रा समय को वर्ष 2027 के अंत तक 4 घंटे में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए राज्य की राजधानी को समस्त जिला मुख्यालयों से 4–लेन सड़क के द्वारा जोड़ा जाएगा।

Telegram-Shixadixa

अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य सरकार के विभागों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी सदन के पटल पर रखता हूँ।

कृषि विभाग

53. मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जलवायु–अनुकूल कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान द्वारा जलवायु–अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए बिहार को वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड, 2024 से सम्मानित किया गया है। साथ ही, जल संरक्षण संरचनाओं एवं वर्षों से बंजर भूमि पर शुष्क बागवानी से हरियाली कार्य करने हेतु बांका जिला को जल निकायों का कायाकल्प श्रेणी में इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान द्वारा ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड एवं कॉनक्लेव अवार्ड, 2024 से सम्मानित किया गया है।

54. हमारी सरकार ने बड़ी नदियों पर पुलों की संख्या एवं उनकी क्षमता बढ़ाकर राज्य के यातायात की सुविधा में अभूतपूर्व बदलाव लाया है और माननीय मुख्यमंत्री का सपना 'राज्य के किसी कोने से 5 घंटे में पटना पहुँचने' को साकार किया है। अब हम इस यात्रा समय को वर्ष 2027 के अंत तक 4 घंटे में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए राज्य की राजधानी को समस्त जिला मुख्यालयों से 4–लेन सड़क के द्वारा जोड़ा जाएगा।

55. जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' योजना अन्तर्गत हर संभव प्रयास किया जा रहा है ।

56. बिहार में चतुर्थ कृषि रोडमैप अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कृषि के विकास हेतु बिहार मिलेट मिशन का गठन तथा आम, मशरूम, टमाटर, आलू, प्याज इत्यादि के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।

57. किसानों की आय में वृद्धि हेतु आम, लीची सहित अन्य पारम्परिक बागवानी फसलों के विकास के साथ ही साथ मखाना एवं मशरूम उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मखाना के क्षेत्र विस्तार के साथ ही मखाना भंडारण

गृह की स्थापना अनुदानित दर पर की जा रही है। पहली बार बिहार में खरीफ मौसम में प्याज की खेती 500 हे0 में हुई है। मशरूम उत्पादन योजना के कार्यान्वयन से इस क्षेत्र में बिहार देश में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है तथा शहद उत्पादन में भी चौथे स्थान पर है।

58. बिहार में कृषि रोडमैप के सफल कार्यान्वयन के कारण गेहूँ की उत्पादकता लगभग दोगुनी तथा मक्का की ढ़ाई गुनी बढ़ी है। इसी प्रकार फल एवं सब्जी के उत्पादन तथा उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

59. वित्तीय वर्ष 2024—25 में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी मौसम में अब तक धान, गेहूँ, संकर मक्का, मिलेट्स—मड़ुआ, बाजरा, ज्वार, अरहर, चना, तीसी एवं राई/सरसों के कुल 6,14,327 क्विं0 बीज का कुल 20,42,799 किसानों के बीच वितरण किया गया है।

60. राज्य में श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को बढ़ावा देने हेतु खरीफ, 2024 मौसम में राज्य के सभी जिलों में 1.25 लाख एकड़ में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सावां आदि मिलेट्स उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है, जिससे अच्छी उपज प्राप्त हुई है।

61. राज्य के सभी 38 जिलों में जलवायु—अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु—अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है।

62. राज्य में पोषक अनाजों पर अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा, गया में तथा बिदुपुर, वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

63. पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों हेतु एक—एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की गयी है।

64. ''समग्र गव्य विकास योजना'' के तहत राज्य के सभी वर्गों के कृषकों/बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्वरोजगार के सृजन एवं आय में वृद्धि के लिए उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई स्थापित किये जाने की योजना संचालित की गयी है।

65. बिहार का दूध ''सुधा'' के विपणन केन्द्रों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कॉम्फेड द्वारा राज्य के सभी प्रखण्डों में बिक्री केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

सहकारिता विभाग

66. कृषि रोडमैप अंतर्गत सहकारी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के तहत पैक्सों एवं व्यापार मंडलों में 7,915 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जिससे राज्य में कुल 15.67 लाख मे0 टन भंडारण क्षमता सृजित हुई है।

67. खरीफ विपणन मौसम 2024–25 अन्तर्गत अब तक कुल 6,650 समितियों के माध्यम से 2.23 लाख किसानों से 18.37 लाख मे॰टन धान की अधिप्राप्ति की गई है।

68. बिहार राज्य फसल सहायता योजनान्तर्गत खरीफ–2022 मौसम तक 29,05,476 किसानों को 1,867.58 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। रबी 2022–23 मौसम के लाभुक किसानों को सहायता राशि के भुगतान से संबंधित कार्रवाई एवं खरीफ–2023 एवं रबी 2023–24 मौसम के आवेदक किसानों के क्षेत्रीय सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

69. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 2,927 पैक्सों में प्रति पैक्स 15 लाख रुपये की दर से कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने के लिए कुल 439.05 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए।

70. राज्य में बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अंतर्गत 500 से अधिक जीविका स्वावलंबी सहकारी समिति का निबंधन किया गया है।

लघु जल संसाधन विभाग

71. वर्ष 2024–25 में ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' के तहत क्रियान्वित की जा रही एक एकड़ से अधिक रकबा वाले आहर पईन, पाँच एकड़ से अधिक रकबा वाले पोखरों/तालाबों एवं चेक डैम/वीयर की योजनाओं में से अबतक 250 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

72. ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की जा रही आहर पईन, उद्वह सिंचाई, चेक डैम/वीयर की योजनाओं में से अब तक 412 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

73. ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' अन्तर्गत 2,307 सतही सिंचाई/जल संचयन योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसमें 2,182 योजनायें पूर्ण हो गयी हैं।

74. ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' कार्यक्रम के तहत 924 योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है, जिसमें से 758 योजनायें पूर्ण हो गयी हैं।

75. मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत अनुदान आधारित 35,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन की कार्रवाई की जा रही है।

जल संसाधन विभाग

76. ''हर खेत तक सिंचाई का पानी'' अंतर्गत चयनित 604 अद्द योजनाओं से 1,19,063 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध अबतक 594 अद्द योजनाएं पूर्ण कर 1,18,493 हे० में सिंचाई का पुनर्स्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त 774 अद्द योजनाओं के कार्यान्वयन से कुल 5.45 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई का लाभ उपलब्ध होगा।

77. वर्ष 2024–25 में 16 अद्द प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन से 1.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा।

78. पश्चिमी कोशी नहर परियोजना की नहरों की गाद सफाई एवं उनके बाँधों तथा संरचनाओं का पुनर्स्थापन एवं अवशेष कार्य 735.01 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। इससे मधुबनी जिला के 19 प्रखंडों एवं दरभंगा जिला के 5 प्रखंडों के कृषक लाभान्वित होंगे।

79. पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज–2) का अवशेष कार्य के तहत अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का कार्य प्रगति में है। इसके तहत् कुल 1.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य है। योजना का लाभ मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा समस्तीपुर जिले के कृषकों को प्राप्त होगा।

80. जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुण्डघाट जलाशय योजना का निर्माण 270.31 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। इस योजना के निर्माण से कुल 2,035 हे० क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

81. औरंगाबाद एवं गया जिले में उत्तर कोयल जलाशय योजना का अवशेष कार्य 1,367.61 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

82. पेयजलापूर्ति की महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के प्रथम चरण के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के बाद द्वितीय चरण में बिहारशरीफ शहर को भी गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु 1,110.27 करोड़ रुपये की राशि से मधुवन जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति में है।

83. ''जल–जीवन–हरियाली अभियान'' के अन्तर्गत 198.58 करोड़ रुपये की लागत से भभुआ एवं मोहनियाँ शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है।

84. नदी जोड़ योजना के तहत् कोशी–मेची लिंक परियोजना प्रस्तावित है जिसकी लागत राशि 6,282.32 करोड़ रुपये है।

85. नदियों को जोड़ने की योजना एवं मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य के तहत् पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले में 130.89 करोड़ रुपये की लागत से बागमती–बूढ़ी गंडक (बेलवाधार) नदी जोड़ योजना, समस्तीपुर जिला में 120.96 करोड़ रुपये की लागत से बागमती नदी–बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ने की शांतिधार योजना एवं गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिले में 69.89 करोड़ रुपये की लागत से गंडक–अकाली नाला (छाड़ी)–गंडकी–माही–गंगा नदी जोड़ योजना का कार्य प्रगति में है।

पंचायती राज विभाग

86. राज्य में कुल 8,053 ग्राम पंचायतों में से अब तक स्वीकृत 6,405 पंचायत सरकार भवनों में से 1,563 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

87. राज्य के 8,053 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कुल 1,09,321 वार्डो में प्रति वार्ड 10 सोलर स्ट्रीट लाईट एवं प्रति पंचायत अतिरिक्त 10 सोलर स्ट्रीट लाईट के तहत कुल 4,79,061 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य किया गया है।

88. मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाईट योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पंचायतों में कुल 15 लाख सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। अबतक कुल 4. 79 लाख सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

ग्रामीण विकास विभाग

89. बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ''जीविका'' बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तीकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अबतक 150 जीविका दीदियों का उद्यम विकास किया गया है।

90. महिला सशक्तीकरण के लिए हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज राज्य की महिलाएं आर्थिक एवं सामाजिक दोनों स्तर पर स्वावलंबी एवं सशक्त बन रही हैं। राज्य की जीविका दीदियों की सफलता की

कहानियाँ आज पूरे देश की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए एक अप्रतिम उदाहरण बनी है। हमारी सरकार जीविका के माध्यम से ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं के संस्थागत संगठनों का निर्माण कर जीविकोपार्जन विकास हेतु वित्तीय सहयोग एवं अन्य बिन्दुओं पर उनके सम्पोषण के लिए ''जीविका'' द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है।

91. जीविका द्वारा समुदाय आधारित संगठन के विकास के साथ–साथ विभिन्न कार्यों में सहयोग देने हेतु समुदाय के बीच से भी सामुदायिक पेशेवरों का चयन कर उनका क्षमतावर्द्धन किया जाता है। ये सामुदायिक पेशेवर सामुदायिक संगठन द्वारा चयनित होते हैं एवं सामुदायिक संगठन की देख–रेख एवं अनुश्रवण में जीविका मित्र, लेखापाल, सामुदायिक संसाधन सेवी, ग्राम संसाधन सेवी, बैंक मित्र, पशु सखी, रोजगार संसाधन सेवी के रूप में कार्य करते हैं, जिसको जीविका द्वारा समय–समय पर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। जीविका द्वारा सामुदायिक पेशवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 29 प्रशिक्षण एवं शिक्षण केन्द्रों का संचालन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इन प्रशिक्षण एवं शिक्षण केन्द्रों से 705 संकुल स्तरीय संघ सम्बद्ध हैं, जिसमें आवासीय एवं गैर–आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है।

92. जीविका द्वारा अब तक कुल 10.63 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंर्तगत 131 लाख से अधिक परिवारों को समूहों से जोड़ा गया है। साथ ही, 71,229 ग्राम संगठन तथा 1,673 संकुल स्तरीय संघ गठित हो चुके हैं। वित्तीय समावेशन के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा 10.36 लाख स्वयं सहायता समूहों के बचत बैंक खाता खोले गए हैं, जिसमें समूहों को लिंकेज कराकर अब तक कुल 477.94 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी है।

93. विभिन्न पंचायतों में कार्यरत लगभग 5,986 बैंक सखी (बैंकर दीदी) सदस्यों के मध्य वित्तीय उत्पादों (समय पर जमा, निकासी, बीमा, पेंशन आदि) पर जागरूकता फैला रही हैं। बैंक सखी के माध्यम से 14,961 करोड़ रुपये का जमा–निकासी किया गया

है। राज्य में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 78.40 लाख से अधिक सदस्यों को बीमा से आच्छादित किया गया है।

94. वर्तमान में जीविका परियोजना द्वारा सरस मेले का आयोजन सिर्फ राज्य की राजधानी (पटना) में किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि इस आयोजन से छोटे एवं मझोले उद्यमियों को एक सुव्यवस्थित बाजार मिलता है एवं इससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होती है। आने वाले समय में सरस मेले का आयोजन सभी जिला मुख्यालयों में कराया जायेगा।

95. राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के उच्चतर संगठन अर्थात् ग्राम संगठनों को पंचायत स्तर पर जीविका भवन उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जीविका द्वारा गठित ग्राम संगठनों के उच्चतर संगठन अर्थात संकुल संघ को भी जीविका भवन निर्माण करा कर उपलब्ध करायी जाय। प्रस्तावित संकुल संघो के जीविका भवन में महिलाओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद हेतु जगह की जरूरत होती है ताकि निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक पहलुओं को स्थान मिले। एक मॉडल भवन की परिकल्पना कर जीविका भवन का उपयोग महिला संवाद एवं विकास भवन के रूप में होगा। इस कार्य को आगामी तीन वर्षो में चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जायेगा।

96. कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कृषि विभाग के साथ समन्वय कर निरंतर कार्य किया जा रहा है। अबतक 35.89 लाख महिला किसानों द्वारा कृषि की नयी तकनीक को अपनाया गया है। राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित 70 किसान उत्पादक कंपनियों (Farmer Producer Company) के पंजीकरण के साथ महिला किसानों का उत्प्रेरण, उत्पादों का एकत्रीकरण तथा बाजार से उनका जुड़ाव किया जा रहा है।

97. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2024–25 में प्राप्त कुल भौतिक लक्ष्य 2,43,701 के विरूद्ध अबतक 2.36 लाख लाभुकों को आवास की स्वीकृति देते हुए 34,915 आवासों को पूर्ण कराया गया है।

98. जल–जीवन–हरियाली, तभी होगी खुशहालीः– केवल पाँच वर्षों की अल्पावधि में इस अभियान द्वारा कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त की गयी हैं। दुबई के COP-28 सम्मेलन में जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत किये गये प्रयासों की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है। चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को तृतीय पुरस्कार मिला है। साथ ही, 20वें सी.एस. आई–ई गवर्नेंस पुरस्कार में बिहार को परियोजना श्रेणी में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। जल–जीवन–हरियाली अभियान अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा से वर्ष 2024–25 में 1.99 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है।

99. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)– प्रथम चरण और द्वितीय चरण मिलाकर पिछले दस वर्षों में 1.43 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय की सुविधा मिली है। वर्तमान में राज्य के 95 प्रतिशत वार्ड में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जा रहा है। प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित निपटान हेतु प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर 168 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण किया गया है।

100. राज्य में लोगों के गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने के लिए शौचालय निर्माण के साथ–साथ स्वच्छता के लिए हमारी सरकार ने कई स्तर पर प्रयास किए हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 115.60 लाख घरों में शौचालय निर्माण किया गया है। परिणामस्वरूप, आज राज्य के 8,053 पंचायत, 534 प्रखंड 101 अनुमंडल तथा 38 जिला ओ0डी0एफ0 (Open Defecation-Free) घोषित किए जा चुके हैं। साथ ही, शहरी क्षेत्रों में 3,398 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय ओ0डी0एफ0 (Open Defecation-Free) घोषित किए जा चुके हैं।

101. कृषि एवं पशु अपशिष्ट के निपटान हेतु जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लिए गोबर–धन (GOBARDHAN) योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य के 38 जिलों में से 31 जिलों में गोबर–धन इकाईयों का निर्माण किया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

102. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत अब तक स्वीकृत 2,65,295 आवासों में से 1,42,450 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

103. राज्य के चार शहरों (भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ) में स्मार्ट सिटी मिशन अन्तर्गत भागलपुर के लिए कुल 980 करोड़ रुपये, पटना के लिए 836.27 करोड़ रुपये, मुजफ्फरपुर के लिए 886.48 करोड़ रुपये एवं बिहारशरीफ के लिए 755.25 करोड़ रुपये विमुक्त किया गया है।

104. राज्य के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाये रखने हेतु स्वच्छ भारत मिशन योजना अन्तर्गत अब तक सभी नगर निकाय खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित हो चुके हैं। 56 नगर निकाय को ODF+ घोषित किया जा चुका है जबकि पटना नगर निगम को Water+ घोषित किया गया है।

उद्योग विभाग

105. उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार 'औद्योगिक रोडमैप' तैयार करेगी जिसका उद्देश्य समावेशी, संतुलित आर्थिक एवं हरित विकास है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी लक्ष्य है।

106. पटना, मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया की तर्ज पर राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को मार्केट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शेष प्रमंडलों (दरभंगा, मुंगेर, गया, सारण, भागलपुर तथा सहरसा) में भी खादी मॉल का निर्माण किया जायेगा।

107. बिहार बिजनेस कनेक्ट– 2024 में विभिन्न क्षेत्रों की 423 कंपनियों के साथ कुल 1,80,000 करोड़ रुपये से अधिक के एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से बिहार में रोजगार के हजारों अवसरों का सृजन होगा।

108. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 39 हजार से अधिक लाभुकों को उद्योगों की स्थापना के लिए 2,900 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है।

109. बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत अब तक 40,099 लाभुकों को उद्योग की स्थापना के लिए 214.22 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि दी गयी है।

110. बिहार स्टार्ट–अप पॉलिसी के अंतर्गत अब तक 186 रजिस्टर्ड स्टार्ट–अप्स को कुल 51.27 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

111. गया के डोभी में 1,344 करोड़ रुपये की लागत से 1,670 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है जो अमृतसर–कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। जैतिया, फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसके जरिये एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

गन्ना उद्योग विभाग

112. वर्ष 2024–25 में कृषि रोड मैप के तहत् मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम हेतु कुल 2,660.00 लाख रुपये की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत् गन्ना फसल के साथ मसूर/राई/सरसों/मूँग की अंतरवर्ती खेती की योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

113. राज्य के गन्ना किसानों के हित में पहली बार गन्ना यांत्रिकीकरण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 984.99 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति दी गयी है।

114. बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम की पूर्ति हेतु चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत् वर्ष 2024–25 में इस योजना का कार्यान्वयन कुल 1,240.00 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है।

115. गन्ना के मूल्य में पूर्व के 10 रुपये के अतिरिक्त पुनः 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गयी है।

श्रम संसाधन विभाग

116. राज्य के 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को ''सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स'' बनाया जा रहा है। प्रथम चरण में 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत किया

गया है एवं 6,570 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। कुल 2,450 प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट भी कराया गया है।

117. पी0एम0 विश्वकर्मा योजना के तहत 151 औ0 प्र0 संस्थानों का पंजीयन कराया गया है। 67 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। 3,205 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

118. प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 2,18,192 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

119. वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर 2024 तक कुल 36,423 युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया है तथा 74,757 अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया गया है।

शिक्षा विभाग

120. युवाओं की पढ़ाई के लिए पैसे की कमी बाधा नहीं बने, इसके लिए हमारी सरकार स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड के तहत सुगम ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करा रही है, वहीं उनके रोजगार के लिए कौशल विकास के साथ–साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप सहायता योजना सहित कई स्तर पर पूंजी की सहायता जैसे प्रावधान कर रही है।

121. हमने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुझे यह बताते हुये अत्यन्त खुशी हो रही है कि वर्ष 2023–24 में प्राथमिक स्तर में 168.31 लाख बच्चों का नामांकन दर्ज हुआ जिसमें लगभग आधी बालिकायें हैं। साथ–ही, छीजन दर (Drop out) की स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ है। वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–24 के बीच, प्राथमिक स्तर के छीजन दर में 14 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। समावेशी विकास के ध्येय से कार्य करने के कारण, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों का भी छीजन दर घटा है। माध्यमिक स्तर पर वर्ष 2023–24 में ड्रापआउट रेट में 62 प्रतिशत अंकों

की कमी दर्ज की गई है। सरकार का यह ध्येय है कि 2047 के दीर्घकालिक विकास विजन में कोई पीछे ना छूटे, इसी लक्ष्य से वर्ष 2025–26 तक 100 आवासन वाले 49 नये छात्रावासों की स्थापना की जायेगी।

122. वर्त्तमान में शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में 270 अंगीभूत/राजकीय महाविद्यालय संचालित हो रहे है तथा 20 अन्य अनुमंडल मुख्यालय अथवा प्रखंडो में महाविद्यालय खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

123. शिक्षकों की नियुक्तिः– आयोग के माध्यम से राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में दो चरणों में कुल 2,17,272 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। तृतीय चरण में राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 66,800 अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है। 36,947 प्रधान शिक्षक तथा 5,971 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है।

124. लाभुक आधारित योजनाएँ (DBT)– विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए वर्ष 2024–25 में मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं हेतु कुल 3,063.80 करोड़ रुपये की राशि लाभुक बच्चों के बैंक खाते में उपलब्ध करायी गयी है।

125. बिहार स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत अब तक 3.70 लाख छात्र/छात्रा लाभान्वित हो चुके हैं।

126. बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों को ई–पुस्तकालय का लाभ प्रदान करने की शुरूआत की गई है, जिससे बिहार के छात्र, शोधकर्त्ता, संकाय सदस्य और संपूर्ण विद्वान समुदाय लाभान्वित होंगे।

127. गणतंत्र दिवस–परेड, 2025 में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित जय माँ भारती नृत्य उत्सव के तहत किलकारी के बच्चे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड के सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए।

स्वास्थ्य विभाग

128. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, स्वच्छता के लिहाज से गत पाँच वर्षों में बिहार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नीति आयोग के वर्ष 2023–24 के रिपोर्ट में सतत् विकास लक्ष्य के आकड़ों के अनुसार स्वच्छ पानी एवं सफाई (SDG 6) के मामले में बिहार का स्थान 98 स्कोर के साथ देश के सभी राज्यों में तीसरा रहा है।

129. स्वास्थ्य हमेशा से राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। फलस्वरूप, वर्ष 2005–06 से वर्ष 2023–24 तक स्वास्थ्य पर राज्य सरकार का खर्च 13 गुना बढ़ गया है। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वर्ष 2006–10 और वर्ष 2016–20 के बीच, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 3.7 वर्ष और बालिकाओं के लिये 3.0 वर्ष की वृद्धि हुई है। हमारे उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी तरह, संस्थागत प्रसव का दर वर्ष 2005–06 के 19.9 प्रतिशत (National Family Health Survey-3) से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 76.2 प्रतिशत (NFHS-5) हो गया है। इसके फलस्वरूप, वर्ष 2004–06 और वर्ष 2018–20 के बीच मातृ मृत्यु दर में 62 प्रतिशत की और वर्ष 2005 से वर्ष 2020 के बीच शिशु मृत्यु दर में 56 प्रतिशत की भारी कमी आई है।

130. राज्य के सभी जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराने एवं इसके सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा एम्स, दरभंगा के निर्माण हेतु 187.44 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की गयी है तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा एम्स दरभंगा का शिलान्यास भी किया जा चुका है।

131. उन्नत एवं पारदर्शी स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रतिफल है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के प्रति आमजनों का विश्वास काफी बढ़ा है। परिणामस्वरूप राज्य में वर्ष 2006 में प्रतिमाह प्रति संस्थान मरीजों की औसत संख्या जहाँ 39 थी, वहीं वर्त्तमान में यह संख्या 11,000 से अधिक हो गई है।

132. राज्य के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 01–01 नये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

के निर्माण के क्रम में 199 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण हेतु कुल 258.70 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 129 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

133. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रः– वर्ष 2023–24 तक कुल 434 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु दी गई स्वीकृति के विरूद्ध अब तक 354 का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024–25 में कुल 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है।

134. अनुमण्डलीय अस्पतालः– राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गैर आच्छादित 19 अनुमण्डलों में अनुमण्डलीय अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से 13 अनुमण्डलीय अस्पतालों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

135. सदर अस्पतालः– राज्य के 25 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 13 सदर अस्पतालों में मॉडल अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

136. मातृ एवं शिशु अस्पतालः– राज्य में कुल 22 मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें से भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, गया, पटना सहित 18 जिलों में चिन्हित अस्पतालों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

137. राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, भागनबिगहा, रहुई, नालन्दा का निर्माण 19.23 एकड़ भू–खण्ड पर 597.78 करोड़ रुपये की लागत से कराया गया है। उक्त परिसर में 100 शय्या का अस्पताल भी क्रियाशील है।

138. इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में 284.18 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त 500 बेड के नये भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

139. पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को विश्वस्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन करने के उद्देश्य से 250 नामांकन महाविद्यालय एवं 5,462 बेड के अस्पताल

हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रथम चरण में 2,000 बेड का अस्पताल भवन (Tower-1) का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है तथा CUB (Central Utility Building), छात्रावास एवं मल्टी लेवल कार पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

140. दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा को कुल 250 नामांकन महाविद्यालय एवं 2,500 शय्या के अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 400 शय्या के सर्जिकल वार्ड का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

141. सभी जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की सुविधा अंतर्गत राज्य के 05 जिलों यथा, पूर्णिया, बेतिया, समस्तीपुर, मधेपुरा तथा सारण (छपरा) में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए जन–उपयोग हेतु समर्पित कर दिया गया है।

142. मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना अंतर्गत मरीजों की सारी जानकारी ऑनलाईन सुरक्षित रखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार देश का पहला राज्य है, जहाँ इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। परिणामस्वरूप राज्य को दिनांक 04–05 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में आयोजित ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट, 2024 में इनोवेशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।

143. वर्तमान में बिहार राज्य में प्रतिमाह लगभग 15 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बन रहा है। डिजिटल ओ.पी.डी. निबंधन, निःशुल्क दवा वितरण सहित मासिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बनाने में बिहार ने देश में कीर्तिमान रचा है।

144. वर्तमान में 'आवश्यक दवाओं की सूची' में 611 प्रकार की औषधियाँ एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाईसेज/कन्ज्यूमेबल शामिल है। भारत सरकार के DVDMS Portal के अनुसार मुफ्त दवा नीति अंतर्गत दवा आपूर्ति एवं वितरण में 15 सितम्बर, 2024 से बिहार प्रथम स्थान पर है।

145. कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगतिः– कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में पूर्व से राज्य के सभी

जिलों में किये जा रहे कैंसर स्क्रीनिंग एवं चिन्हित जिलों पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में उपलब्ध कीमोथेरेपी सुविधा सहित राज्य के सिर, मुँह एवं गर्दन के कैंसर से पीड़ित मरीजों के ईलाज हेतु 100 शय्या वाले अस्पताल का गंगवारा, दरभंगा में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

146. 09 वर्ष से 14 वर्ष के आयुवर्ग की बालिकाओं में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (Human Papilloma Virus– HPV) के संक्रमण से होने वाले कैंसर से बचाव हेतु दिनांक 06 अक्टूबर, 2024 को ''मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना' के तहत HPV टीकाकरण का शुभारम्भ किया गया है।

147. आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत् राज्य में अब तक लगभग 1.54 करोड़ परिवारों के लगभग 3.65 करोड़ पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड निर्माण किया गया है। वर्त्तमान में आयुष्मान कार्ड निर्माण में बिहार राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

148. 'बाल हृदय योजना' अन्तर्गत अब तक कुल 1,827 बच्चों का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया जा चुका है।

149. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोषः– वर्ष 2024 में (जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 28,892 मरीजों के इलाज हेतु अनुदान राशि दी गई है।

150. राजकीय भाषा हिन्दी में पढ़ाई का विकल्पः– नई पहल करते हुए मेडिकल छात्रों के पास हिन्दी या अंग्रेजी में पढाई करने का विकल्प हो, इस उद्देश्य से राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. के नये सत्र से हिन्दी में पढ़ाई करने की भी शुरूआत की गयी है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

151. 'हर घर नल का जल' निश्चय अंतर्गत 56,447 वार्डों के कुल 84.46 लाख परिवारों

को 'नल का जल' उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 01.01.2025 तक 56,042 वार्डों में कार्य पूरा कर लिया गया है।

152. गंगा नदी से पानी लेकर राज्य के बक्सर, भोजपुर, वैशाली, बेगूसराय एवं भागलपुर जिलों के 1,070 आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति प्रारंभ कर दी गई है।

153. लखीसराय जिला में बुधौली बंकर बहुग्रामीय योजना के तहत 22 वार्डों में भू–गर्भीय जल से जलापूर्ति की जा रही है। वैशाली जिला में बिदुपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के तहत आर्सेनिक प्रभावित 159 वार्डों में, भोजपुर जिला में मौजमपुर बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना के तहत आर्सेनिक प्रभावित 97 वार्डों में, भागलपुर जिला में कहलगाँव–पीरपैंती बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत आर्सेनिक प्रभावित 236 वार्डों में एवं बक्सर जिला में सिमरी बहु–ग्रामीय जलापूर्ति योजना के तहत आर्सेनिक प्रभावित 214 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। पटना जिला में भू–गर्भीय जल के माध्यम से मनेर MVS से 93 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग

154. हमारी सरकार मानव पूंजी के निर्माण में विश्वास रखती है। हम अपने नागरिकों के कल्याण के लिए सामाजिक क्षेत्र पर किये जाने वाले व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि कर रहे हैं।

155. सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अब तक कुल 102 महिला अभ्यर्थियों तथा बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण कुल 1,615 महिला अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।

156. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 22,043 लाभुकों को राशि भुगतान किया गया।

157. बिहार माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2012 के अन्तर्गत राज्य के 06 जिलों यथा पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया

एवं पश्चिम चम्पारण में वृद्धाश्रम 'सहारा' संचालित है। पटना (गुलजारबाग), गया तथा पूर्णिया में 100 बेड वाले वृद्धाश्रम का निर्माण कराया गया है।

158. मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना (सम्बल) अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में अब तक कुल 1,768 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है।

159. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में अब तक 57,011 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

160. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में अब तक कुल 3,12,390 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

161. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु वर्ष 2024–25 में 226.78 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

162. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2024–25 में अब तक 1,09,331 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

163. सभी 38 जिलों में कुल 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। अब तक 16 विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

164. जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना अन्तर्गत कुल 36 जिलों में छात्रावास संचालित है।

165. मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2024–25 तक बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक) परीक्षा उतीर्ण करने वाले कुल 5,958 अभ्यर्थियों को 50,000 रूपये की दर से एवं संघ लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक) परीक्षा उतीर्ण करने वाले कुल 212 अभ्यर्थियों को प्रति अभ्यर्थी 1,00,000 रुपये की दर से लाभान्वित किया गया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

166. वर्ष 2024–25 में ''मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका "छात्रावास योजना" के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास (100 आवासन) के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

167. कौशल विकास योजनान्तर्गत नामांकित कुल 2,572 प्रशिक्षणार्थियों में से अब तक 1,143 का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है, जिसमें से 324 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिलाया गया है।

168. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत सिविल सेवा के इतर समूह–1 के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) उतीर्ण होने पर प्रोत्साहन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक कुल 4,302 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

169. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में पूर्व के प्रोत्साहन राशि से वंचित एवं वर्ष 2024 में उत्तीर्ण 1,43,084 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 163.73 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है।

170. वर्ष 2024–25 में अब तक कुल 349 मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं के बीच 87.25 लाख रूपये वितरित किये गये हैं।

171. अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु सरकार प्रयासरत है। इस योजना के तहत अब तक 50 बालक एवं बालिका छात्रावास निर्मित एवं संचालित है।

172. वर्ष 2024–25 में अब तक 732 प्रशिक्षणार्थियों का विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण कराया गया है।

173. वर्ष 2024–25 में 705 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग कराया जा रहा है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

174. राज्य के सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने और इसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने हेतु 'आम्रपाली प्रशिक्षण केन्द्रों' की स्थापना की गयी है। आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी जिलों में इस केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

175. ''बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, 2024'' के तहत 2 करोड़ रूपये से 4 करोड़ रुपये तक वित्तीय अनुदान देने का प्रावधान है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के लिए 'सिंगल विंडो' के जरिये फिल्म निर्माताओं को सुविधा मुहैया कराने तथा राज्य में भोजपुरी फिल्म सहित अन्य फिल्म उद्योगों को सशक्त बनाकर स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर प्रदान किया जायेगा। साथ ही, राज्य को एक आकर्षक शूटिंग केन्द्र के रूप में स्थापित किया जायेगा। बिहार के कलाकारों के पंजीयन हेतु वेबसाइट बनायी जायेगी।

176. तीन नए संग्रहालयों (बेतिया संग्रहालय, दीपनारायण संग्रहालय तथा बाबा कारू खिरहर संग्रहालय) का भवन निर्माण; पाँच संग्रहालयों (गया, नवादा, जमुई, बेगूसराय एवं भागलपुर) के भवन का जीर्णोद्धार तथा गया, नवादा एवं जमुई संग्रहालय दीर्घा के जीर्णोद्धार/पुनरावशेषों का संरक्षण किया जायेगा। लाल पहाड़ी (लखीसराय) पुरातात्विक स्थल को संरक्षित किया जायेगा। अगस्त, 2024 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव में बिहार के संग्रहालय यथा बिहार संग्रहालय, पटना संग्रहालय तथा गया संग्रहालय को श्रेष्ठ प्रस्तुतीकरण का पुरस्कार दिया गया।

177. राज्य के 8 जिलों यथा लखीसराय, बांका, नवादा, शेखपुरा, अररिया, सिवान, अरवल तथा कैमूर में 620 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण तथा मुजफ्फरपुर में 2,000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह का निर्माण किया जाएगा।

178. बिहार में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (National School of Drama) का क्षेत्रीय केन्द्र तथा संयुक्त क्षेत्रीय प्रेक्षा केन्द्र (Joint Regional Repertory Centre) (JRRC) की स्थापना की जाएगी। पटना गोलघर का सौंदर्यीकरण, परिसर में लाईट, लेजर साउण्ड शो का अधिष्ठापन एवं संचालन किया जाएगा। मॉरिसन भवन (पटना) तथा अहिल्या स्थान (दरभंगा) का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण किया जायेगा। चिरान्द (सारण) का भी संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण के साथ–साथ प्रागैतिहासिक पार्क का अधिष्ठापन किया जाएगा।

179. महात्मा गांधी के चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े स्थलों बेतिया एवं मोतिहारी में 95.68 करोड़ रुपये की लागत से 2,000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा मुजफ्फरपुर में इसके निर्माण हेतु 41.86 करोड रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। साथ ही, राज्य में चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के संवर्द्धन एवं विकास हेतु सांस्कृतिक संरचना निर्माण योजना के तहत प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में 600 क्षमता वाले प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण 07 जिलों (दरभंगा, सहरसा, मुंगेर, पूर्णिया, गया, सारण एवं बेगूसराय) में 92.46 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा वर्ष 2024–25 में लखीसराय एवं बांका जिले में 02 प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

180. पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय के रूप में संयोजन की कार्रवाई की जा रही है।

181. वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण 550.48 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है, जिसमें वैशाली के प्राचीन स्तूप के उत्खनन से प्राप्त भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि–अवशेष तथा प्राप्त अन्य सामग्रियों को प्रदर्शित किया जाएगा।

182. मिथिला चित्रकला संस्थान को RBI द्वारा Certificate of Merit से नवाजा गया।

खेल विभाग

183. युवा वर्ग समाज के विकास का इंजन है। अतः, इनके सर्वांगीण विकास पर राज्य सरकार का फोकस है। बिहार की कुल आबादी का लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा 15 से 29 वर्ष के युवाओं का है। इनके संपूर्ण विकास के लिये जनवरी, 2024 में स्वतंत्र खेल विभाग का गठन किया गया तथा इसके अंतर्गत कई सफल योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं जिसमें प्रमुख है 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ', जिसके तहत अब तक 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है।

184. शिक्षा विभाग, खेल विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना द्वारा संयुक्त रूप से राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभावान खिलाड़ियों के चयन हेतु ''मशाल–2024'' प्रतियोगिता संचालित की जा रही है। इस अभियान में खिलाड़ियों को प्रत्येक स्तर पर नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

185. 533 प्रखंडों की 5,671 ग्राम पंचायतों में 6,659 खेल मैदानों के निर्माण का कार्यारंभ किया गया है। यह खेल संस्कृति के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। खेल मैदानों के निर्माण से युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। खेल मैदान के निर्माण के क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। राज्य के सभी जिलों में खेल क्लब का गठन किया गया है।

186. हमारे यशस्वी खिलाड़ियों ने एशियन वुमेन्स हॉकी चैम्पियंस ट्राफी में एक स्वर्ण पदक तथा पेरिस ओलम्पिक में एक रजत पदक प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त **खेलो इंडिया** के तहत खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण, 09 रजत तथा 30 कांस्य पदक प्राप्त किया है। साथ ही, समावेशी विकास में हम दिव्यांगों को नहीं भूल सकते हैं। हमारे दिव्यांग युवाओं ने भी बेहतर प्रदर्शन करते हुये राष्ट्रीय पैरा गेम्स में 04 स्वर्ण, 07 रजत तथा 05 कांस्य पदक प्राप्त किये हैं।

187. मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत राज्य में खेल के लिए उपयुक्त वातावरण

तैयार करने एवं खेल के विकास हेतु खेल अवसंरचना विकसित करने के क्रम में विभिन्न जिलों में प्रखण्ड स्तर पर आउटडोर स्टेडियम निर्माण हेतु अब तक कुल 370 स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें से 229 स्टेडियमों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

188. राजगीर में राज्य खेल अकादमी–सह–अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर का निर्माण कार्य 90 एकड़ भूमि पर कुल 740 करोड़ रुपये की लागत से प्रगति पर है।

189. दिनांक 29.08.2024 को बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया तथा बिहार में पहली बार माह नवंबर, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एशियन हॉकी चैम्पियनशिप (महिला)–2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें एशिया के 06 अग्रणी देश शामिल हुए। इस चैम्पियनशिप में भारत की महिला टीम ने पूरे टूर्नामेंट में बिना एक भी मैच हारे चैम्पियनशिप हासिल किया।

190. खेल विभाग ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) को मोईनुल हक स्टेडियम, पटना के पुनर्निर्माण तथा संचालन हेतु लीज पर हस्तांतरित किया है। उक्त स्टेडियम के निर्माण के उपरांत राज्य में अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन का अवसर मिलेगा।

191. फिक्की के द्वारा 30 नवम्बर, 2024 को बिहार राज्य को ''इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

192. राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में उभरते हुए तकनीक यथा–इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेंस, 3डी प्रिन्टिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रीक वेहिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवता बढ़ाने तथा कौशल निर्माण एवं इस हेतु मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना द्वारा 33 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में

द्वितीय चरण में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु 122.86 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है ।

193. राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में परम्परागत विधाओं के अतिरिक्त स्नातक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), मशीन लर्निंग (ML), डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, सिविल इंजीरियरिंग विथ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, 3–डी एनीमेशन एण्ड ग्राफिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, फायर टेक्नोलॉजी एण्ड सेफ्टी, फुड प्रोसेसिंग एण्ड प्रिजरवेशन, माईनिंग इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल रोबोटिक इंजीनियरिंग तथा स्नातकोत्तर स्तर पर जियो टेक्नीकल इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे नवीनतम विधाओं मे पाठ्यक्रमों का संचालन किया गया है। वर्तमान में नये विधाओं, यथा मेकाट्रॉनिक्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन (VLSI), मैकेनिकल एण्ड स्मार्ट मैनुफैक्चरींग तथा रोबोटिक्स एण्ड ऑटोमेशन में पठन–पाठन प्रारंभ किया गया है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

194. राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में पारदर्शिता के साथ विकास एवं सरकारी कार्यक्षमता में गुणोत्तर वृद्धि के लिये ''ई–ऑफिस'' परियोजना का क्रियान्वयन सम्प्रति 28 विभागों, 45 निगम / बोर्ड / समिति / मिशन / सोसाईटी, 07 जिलों तथा 02 प्रमंडलों में किया जा रहा है।

195. राज्य के बेरोजगार युवकों को बिहार कौशल विकास मिशन के तहत आई०टी० प्रक्षेत्र में अब तक कुल 55,251 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

196. राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग, विकास एवं इसके अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए बिहार आई०टी० पॉलिसी 2024 को प्रतिपादित किया गया है। इस योजना के तहत निवेशकों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का भी प्रावधान है। बिहार आई०टी० पॉलिसी, 2024 के तहत डेटा सेंटर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में 40 से अधिक

IT/ITeS & ESDM Companies ने 4,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव दिया है।

परिवहन विभाग

197. सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट एवं अन्य दी जाने वाली थ्ंबमसमे सेवा में बिहार देश का अग्रणी राज्य है।

198. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अन्तर्गत वर्ष 2023–24 तक कुल 45,000 लाभुकों को अनुदान का लाभ दिया जा चुका है। इसके तहत 670 लाभुकों द्वारा एम्बुलेन्स का क्रय किया गया है।

199. मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में प्रति प्रखंड अधिकतम 7 लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 132 लाभुकों को 6.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

200. बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019:– इसके अन्तर्गत गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र की सीमा में परिचालित एवं वैध परमिटधारी डीजल/पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन के प्रतिस्थापन एवं सी0एन0जी0 किट रेट्रोफिटमेन्ट हेतु 426.54 लाख रुपये अनुदान का भुगतान किया गया है।

201. व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाईस (VLTD):– महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा देने हेतु सभी लोक सेवा यानों में यान लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण (VLTD) एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य किया गया है।

202. प्रमुख शहरों यथा, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से ''पी.एम.ई. बस योजना'' अंतर्गत कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की योजना है।

203. ''बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति'' के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन तथा उनके चार्जिंग स्टेशनों को प्रोत्साहित करने के लिये इसके क्रय में प्रोत्साहन

राशि/अनुदान राशि एवं टैक्स में छूट निर्धारित शर्तों के साथ दी जा रही है।

भवन निर्माण विभाग

204. 129.38 करोड़ रुपये की राशि से पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य, 186.42 करोड़ रुपये की राशि से पटना समाहरणालय भवन का निर्माण कार्य, 120.21 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर में वाल्मीकि परिसर का निर्माण कार्य, 263.40 करोड़ रुपये की लागत से बापू परीक्षा परिसर, पटना के भवन का निर्माण कार्य, 30.52 करोड़ रुपये की लागत से पटना में राष्ट्रीय डॉलफिन शोध संस्थान का निर्माण कार्य, 136.15 करोड़ रुपये की लागत से राज्य अतिथि गृह बोधगया का निर्माण कार्य, 92.80 करोड़ रुपये की लागत से दरभंगा में तारामंडल–सह–ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय का निर्माण कार्य, 20.77 करोड़ रुपये की लागत से इन्दिरा गाँधी विज्ञान तारामंडल, पटना के परिसर में आंतरिक सुसज्जीकरण एवं भू–दृश्य कार्य, 88.01 करोड़ रुपये की लागत से पटना के शास्त्रीनगर में वरीय पदाधिकारियों के आवास का निर्माण कार्य, 61.62 करोड़ रुपये की लागत से विश्वेश्वरैया भवन का आधुनिकीकरण का कार्य, 61.46 करोड़ रुपये की राशि से विकास भवन का आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।

205. सात निश्चय–1 के अन्तर्गत कुल 31 जिलों में 2,424.05 करोड़ रुपये की राशि से अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य तथा कुल 598.18 करोड़ रुपये की राशि से 15 जिलों के राजकीय पॉलिटेकनिक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

206. सात निश्चय–1 के अन्तर्गत पूर्व से पूर्ण 48 अनुमंडल आई०टी०आई० एवं 19 महिला आई०टी०आई० के अतिरिक्त बिहार के विभिन्न जिलों में कुल 14 पुरूष आई.टी.आई. एवं 5 महिला आई.टी.आई. का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

207. सात निश्चय–2 के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 8 पुरूष आई.टी.आई एवं 2 महिला आई. टी.आई. के विरूद्ध 5 आई.टी.आई. यथा–समस्तीपुर (दलसिंहसराय), बाढ़ (पटना), बेलसंड (सीतामढ़ी), पटना सिटी (पटना) एवं खगड़िया महिला आई.टी.आई. का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

208. गर्दनीबाग आवासीय परिसर में 57.97 करोड़ रुपये की राशि से 20 डुप्लेक्स सेट एवं 135.43 करोड़ रुपये की राशि से 432 इकाई का चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों का आवासन की योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है।

209. 118.85 करोड़ रुपये की राशि से कटिहार, भागलपुर, नवादा तथा जमुई में 200 आवासन क्षमता का वृहद् आश्रय गृह का निर्माण, 78.93 करोड़ रुपये की राशि से पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुंगेर, छपरा तथा गया में प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गैलरी का निर्माण कार्य, 27.22 करोड़ रुपये की राशि से लखीसराय संग्रहालय तथा 8.58 करोड़ रुपये की लागत से तेल्हाड़ा संग्रहालय, नालंदा का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

पथ निर्माण विभाग

210. गंगा नदी में जहाँ वर्ष 2005 से पहले दो लेन वाले मात्र 3 पुल तथा 4 लेन वाले एक पुल थे, वहीं अब इसके अतिरिक्त 2 लेन वाले 3 पुल, चार लेन वाले 7 पुल तथा 6 लेन वाले 4 पुलों का निर्माण हो चुका है या निर्माणाधीन है। इसी प्रकार वर्ष 2005 से पहले कोशी नदी पर 2 लेन वाले मात्र 2 पुल थे। अब 2 लेन वाले पुलों की संख्या 4 हो गई है तथा 4 लेन वाले 5 नए पुलों का निर्माण हो चुका है या प्रगति पर है। गंडक नदी की बात करें, तो वर्ष 2005 से पहले दो लेन वाले मात्र 3 पुल थे और अब ये बढ़कर 8 हो गए हैं जिनमें से दो पुल 4 लेन वाले हैं। सोन नदी पर वर्ष 2005 से पहले मात्र 2 पुल थे। हमारी सरकार ने चार अतिरिक्त पुलों का निर्माण कराया है। बागमती नदी पर मात्र 4 पुल थे जिनकी संख्या अब 13 हो गयी है। इसी प्रकार, फल्गु नदी पर मात्र एक पुल था जिसपर 4 और पुल बनाए गए हैं।

211. केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में कई एक्सप्रेसवे, पुल और राजमार्ग बनाये जा रहे हैं।

212. वर्ष 2024–25 में जे0पी0 गंगा पथ अन्तर्गत गायघाट से कंगनघाट तक कुल 3.40 कि0मी0 का लोकार्पण किया गया।

213. वर्ष 2024–25 में अबतक कुल 22 अद्द पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

214. पटना – गया – डोभी पथ का 4–लेन में निर्माण कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है।

215. विगत एक वर्ष में पथ निर्माण विभाग के अधीन कुल 90 योजनाएँ, जिसकी लागत राशि लगभग 4,826.40 करोड़ रुपये है, की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं में 23 अद्द पुल परियोजनाएँ (लागत राशि 318.37 करोड़ रुपये), 12 अद्द ROB (लागत राशि 718.18 करोड़ रुपये), 50 अद्द पथ योजनाएँ (लागत राशि 848.96 करोड़ रुपये) एवं 5 योजनाएँ ADB के अन्तर्गत (लागत राशि 2,900.88 करोड़ रुपये) सम्मिलित हैं।

216. सात निश्चय पार्ट–2 अन्तर्गत सुलभ सम्पर्कता के अधीन राज्य के सभी शहरों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरने वाले मार्गों में आवश्यकतानुसार बाईपास पथ/फ्लाईओवर के निर्माण योजना के तहत अबतक कुल 25 बाईपासों के निर्माण हेतु कुल 676.27 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

ग्रामीण कार्य विभाग

217. राज्य के 100 या उससे अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों/टोलों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार कृत–संकल्पित है।

218. वर्ष 2005 में ग्रामीण सड़कें टूटी–फूटी अवस्था में थी। सरकार ने सड़कों का कायाकल्प कर पूरे राज्य में सड़कों और पुलों का जाल बिछाया और हर गांव को ही नही, हर टोले, एवं घर तक गलियों को भी पक्की सड़क से जोड़ा गया तथा पक्की नाली का निर्माण किया गया। आज ग्रामीण सड़कों की लंबाई 1.17 लाख कि.मी. है।

219. राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए सुधार ने आज गाँव–गाँव को बाहरी दुनिया से सुगम यातायात के माध्यम से जोड़ दिया है।

220. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में अब तक कुल 2,094.11 करोड़ रुपये की लागत से 1,503.91 कि0मी0 पथ का कार्य पूर्ण कराया गया है एवं 121 पुलों का निर्माण कराया गया है।

221. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) अंतर्गत वर्ष 2024–25 में लगभग 422.67 करोड़ रुपये की लागत से अब तक कुल 595 कि0मी0 पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है।

222. वर्ष 2024–25 में लगभग 1,457.01 करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत कुल 1,020.50 कि0मी0 लम्बाई के पथ एवं 49 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है तथा शेष पथ एवं पुलों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

223. मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2024–25 में अब तक कुल 2,363 पथ (4,326.65 कि0मी0) का अनुरक्षण किया गया है।

224. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत एक नये अवयव के रुप में ''ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम'' को नवंबर 2024 में स्वीकृति दी गयी है। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में अब तक कुल 38 पथ में कार्य पूर्ण करते हुए कुल 671.66 कि0मी0 पथ का कालीकरण का कार्य किया गया है तथा शेष पथ का कार्य निर्माण के विभिन्न चरणों में है।

ऊर्जा विभाग

225. माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का परिणाम है कि सात निश्चय के अंतर्गत 'हर घर बिजली लगातार' को रिकार्ड टाइम में पूरा किया गया। आज राज्य की जनता को लगभग 23–24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। इतना ही नही, हमने राज्य में बिजली चोरी को लगभग समाप्त कर तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास को घटाकर 21.7 प्रतिशत तक लाया है जो विद्युत मंत्रालय के

द्वारा तय लक्ष्य से भी कम है। राज्य में ग्रिड उपकेंद्रों तथा संचरण लाइनों का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। साथ ही, सस्ते दर पर किसानों को बिजली दी जा रही है। कृषि उपभोक्ता की संख्या 5.42 लाख तक पहुँच गई है। इससे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। राज्य सरकार स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

226. जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत वर्तमान में कुल 16,167 सरकारी भवनों के छतों पर कुल 134.9 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन के विरूद्ध 10,433 सरकारी भवनों पर 94.34 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन किया गया है।

227. पी०एम० सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अन्तर्गत आवासीय भवनों के छतों पर सोलर प्लांट लगाये जा रहे हैं जिसमें 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रुपये तथा 3 किलोवाट एवं अधिक क्षमता हेतु 78,000 रुपये के अनुदान का प्रावधान है। अभी तक कुल 5,683 निजी भवनों पर 21 मेगावाट के सौर संयंत्र लगाये जा चुके हैं।

228. किसानों को अतिरिक्त अनुदान :– राज्य सरकार द्वारा दी गई उपभोक्ता अनुदान में कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुए अत्यन्त सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही भुगतान करना पड़ता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग

229. चतुर्थ कृषि रोडमैप के अंतर्गत राज्य के हरित आवरण को वर्ष 2028 तक 17 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2024–2025 में अब तक 3.89 करोड़ पौधों का रोपण ''एक पेड़ माँ के नाम'' तथा जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत किया गया है।

230. राज्य में प्राकृतिक रूप से कई सुन्दर एवं रमणीक स्थल हैं तथा ईको–टूरिज्म के क्षेत्र में असीम संभावनाएँ हैं। राज्य के सभी जिलों में पर्यावरण संतुलन एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु पार्कों एवं उद्यानों का विस्तार एवं विकास तथा रख–रखाव किया जा रहा है।

231. बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। जैव–विविधता मानव कल्याण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह जल और वायु के शुद्धिकरण के साथ ही वन्य उत्पाद, ऑक्सीजन की आपूर्ति और अन्य कई लाभ पहुंचाती है। जीरो कार्बन इमिशन (Zero Carbon Emission) के ध्येय तथा जल–जीवन–हरियाली अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत, 8,053 पंचायती राज निकायों तथा 73 शहरी निकायों में जैव–विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनायेगा।

232. बेहतर प्रबंधन के द्वारा वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया में बाघों की संख्या में एक दशक में लगभग 7 गुना वृद्धि हुई है (वर्ष 2010 में 08 से वर्ष 2022 में लगभग 54)। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, बेतिया को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड (CATS) से पुरस्कृत किया गया है।

233. कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए एनटीसीए (National Tiger Conservation Authority) की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

234. राज्य के मुंगेर जिले में "Bihar Forestry College and Research Institute (BFCRI)" की स्थापना की गई है।

आपदा प्रबंधन विभाग

235. राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) राज्य मुख्यालय, बिहटा (पटना) के परिसर में 25 एकड़ की भूमि पर 312.30 करोड़ रुपये की लागत से स्थायी भवन व अन्य सुविधाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

236. राज्य में 38 स्थानों पर District Emergency Response Facility-cum-Training Centre के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है।

पर्यटन विभाग

237. सारण जिले के सोनपुर अवस्थित विश्वप्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की तर्ज पर विकसित करने हेतु मुख्य परामर्शी का चयन किया गया है।

238. गया जिला के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में पर्यटकीय विकास के लिए 61.96 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटकीय अवसंरचनाओं का विकास कार्य किया जा रहा है। सहरसा जिलान्तर्गत मत्स्यगंधा झील एवं उसके आस–पास पर्यटकीय सुविधाओं के विकास हेतु 98.65 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। कैमूर जिलान्तर्गत करमचट इको– टूरिज्म एण्ड एडवेंचर हब के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के नये कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 2,887.11 लाख रूपये की योजना, बोधगया के समीप सीलौंजा में Seven Wonders of World के प्रतिकृति निर्माण हेतु 1,485.12 लाख रूपये की योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी है। पटना में अवस्थित बड़ी पटन देवी के विकास हेतु 78.83 लाख रूपये, मुंगेर जिले के असरगंज में तीर्थयात्री शेड तथा कैफेटेरिया के निर्माण हेतु 1,488.65 लाख रूपये एवं लखीसराय जिलान्तर्गत अशोक धाम में शिवगंगा तालाब के सौन्दर्यीकरण हेतु 1,403.59 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति दी गयी है।

239. ककोलत इको–पार्क तथा मुंडेश्वरी इको–पार्क को चालू किया गया है।

240. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को "Conservation Initatives by Communities in VTR, Bihar" के लिए SKOCH अवार्ड 2024 प्रदान किया गया।

241. राजधानी पटना में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त गुणवत्तापूर्ण आवासन की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड तथा सुल्तान पैलेस परिसर की भूमि पर पी०पी०पी० मोड में तीन पाँच सितारा होटलों के निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है।

242. पर्यटकीय विविधताओं से समृद्ध इस प्रदेश में कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो अब तक पर्यटकीय मानचित्र पर प्रमुखता से प्रदर्शित नही हुए हैं। इसके मद्देनजर पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड में ऐसे स्थलों को उजागर करने हेतु ''मेरा प्रखण्ड मेरा गौरव'' प्रतियोगिता आयोजित की गयी।

खान एवं भूतत्व विभाग

243. राज्य सरकार द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत चूना पत्थर के 01 खनिज ब्लॉक की नीलामी करायी गयी है। इससे सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा सामग्री उपलब्ध होगा एवं सीमेंट के नये कारखाने लगेंगे तथा राज्य में निवेश का मार्ग खुलेगा।

244. खनिज लदे वाहनों की पहचान के लिए वाहन के चारों तरफ से लाल रंग की 20 ईंच की चौड़ी पट्टी पेंट करना एवं इस पर खनन वाहन निबंधन संख्या तथा वाहन पंजीकरण संख्या अंकित करना अनिवार्य किया गया है।

245. अवैध खनन की सूचना देने वाले बिहारी खनन योद्धाओं को ट्रैक्टर के लिए 5,000 रुपये एवं अन्य बड़े वाहनों के लिए 10,000 रूपये का पुरस्कार दिये जाने के प्रावधान अन्तर्गत 24 लाभुकों के खाते में कुल राशि 1,25,000 रूपये हस्तांतरित किये गये हैं।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

246. बिहार में हवाई संपर्कता को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बिहार के विभिन्न हवाई अड्डों यथा, रक्सौल ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रुप में, पूर्णिया सिविल एनक्लेव तथा बिहटा सिविल एनक्लेव को विकसित किया जाएगा।

247. मुम्बई में ''बिहार भवन'' के निर्माण हेतु पत्तन प्राधिकरण द्वारा लीज पर 2,751.69 वर्गमीटर भूखंड आवंटित की गयी है।

गृह विभाग

248. वर्ष 2005 से पूर्व राज्य में मात्र 42,481 पुलिस बल थे। हमारी सरकार ने आवश्यकतानुसार लगातार नियुक्ति कर पुलिस बल को बढ़ाकर लगभग 1.10 लाख तक पहुंचाया है, जिसमें से 30 हजार से अधिक महिलाएँ है तथा बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है।

249. आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने, विधि व्यवस्था के संधारण एवं सुरक्षा हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में अधिसूचित/गैर अधिसूचित राज्य के 260 ओ0पी0 को थाना के रूप में एवं 24 रेल ओ0पी0 को रेल थाना के रूप में उत्क्रमित किया गया है। साथ ही, 44 नया साईबर थाना तथा 28 यातायात थानों का सृजन किया गया है।

250. राज्य के सभी 38 जिलों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सम्बद्ध करने के लिए 9 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। बिहार पुलिस के लिए शेष थानों के निर्माण, पुलिस कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

251. वर्तमान में डायल–112 के साथ हेल्थ, अग्निशमन सेवा, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा एवं हाईवे पेट्रोलिंग को मशीनीस्तर पर एकीकृत किया गया है। योजना के प्रारंभ में सहायता पहुँचाने का औसत समय 1 घंटा से अधिक था, जो वर्तमान में घटकर 15 मिनट है, जो योजना के लक्षित समय 20 मिनट से भी कम है।

252. वर्ष 2024 में घरेलू हिंसा के 1,43,620 मामलों में डायल–112 द्वारा त्वरित सहायता पहुँचाकर लोगों को सुरक्षा एवं मदद उपलब्ध करायी गयी है। डायल–112 के अन्तर्गत महिलाओं के लिए 'सुरक्षित सफर सुविधा' को राज्य के सभी जिलों में विस्तारित किया गया है।

253. CCTNS परियोजना को दिनांक 01.07.2024 से Go Live किया जा चुका है। बिहार राज्य में कुल 968 CCTNS आच्छादित थानों में स्टेशन डायरी, FIR एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को CCTNS पोर्टल पर Real Time में डिजिटल प्रारूप में प्रविष्टियाँ की जा रही हैं।

254. विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में साईबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला के दो इकाई स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के ऑफ कैम्पस की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

255. कब्रिस्तानों की घेराबन्दी अंतर्गत प्राथमिक सूची में चयनित 9,273 कब्रिस्तानों में से अब तक 8,808 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी की जा चुकी है। 300 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी वित्तीय वर्ष 2025–26 में कराने का लक्ष्य रखा गया है।

256. बिहार मंदिर चहारदीवारी योजनान्तर्गत अबतक कुल 572 मंदिरों के चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 518 योजनाएँ पूर्ण की जा चुकी है। शेष 54 मंदिरों के चहारदीवारी का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जाना है।

सामान्य प्रशासन विभाग

257. वित्तीय वर्ष 2024–25 में सरकारी क्षेत्र में कुल 4,27,866 नियुक्तियाँ की जा चुकी है तथा 23,707 नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2025–26 में लगभग 1.40 लाख नई नियुक्तियाँ की जायेगी।

258. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 31.12.2024 तक 15.99 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 15.74 लाख का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया है। परिवाद के निवारण में अभिरूचि नहीं लेने वाले 1,671 लोक प्राधिकारों पर 33.60 लाख रूपए की शास्ति अधिरोपित की गयी है, जबकि 1,337 लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा रही है।

विधि विभाग

259. विभिन्न व्यवहार न्यायालयों में कोर्ट भवन, एमिनिटी भवन, हाजत भवन, लॉयर्स हॉल, डिजीटल कम्प्यूटर रूम, विशेष (उत्पाद) न्यायालयों के भवन निर्माण एवं जजेज आवास का कार्य पूर्ण किया गया है।

वाणिज्य–कर विभाग

260. विभाग की कई पहल यथा, GST Audit Manual, Document Management System etc. को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।

261. करदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए GST Amnesty scheme दिनांक 01.11.2024 के प्रभाव से लागू किया गया है। उक्त स्कीम के अन्तर्गत ब्याज एवं शास्ति में पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है।

262. फर्जी निबंधन की रोकथाम हेतु Facilitation Centre (जीएसटी सुविधा केन्द्र) के माध्यम से बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेन्टिकेशन की व्यवस्था दिनांक 11.09.2024 के प्रभाव से लागू की गयी है।

योजना एवं विकास विभाग

263. मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत दिनांक 14.01.2025 तक कुल 7,72,159 आवेदकों को स्वयं सहायता भत्ता का भुगतान किया गया है।

264. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में राज्य अंतर्गत माननीय सांसदों द्वारा 1,628 अनुशंसित योजनाओं के विरूद्ध 1,485 योजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसकी कुल राशि 9,381.01 लाख रूपये है, जिसमें से 1,155 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

265. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत 16वीं विधान मंडल की कुल अनुमान्यता राशि 4,124.60 करोड़ रुपये के विरूद्ध 3,705.47 करोड़ रुपये व्यय कर 1,02,130

योजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा 17वीं विधान मंडल की कुल अनुमान्यता राशि 3,816.00 करोड़ रुपये के विरूद्ध 2,091.35 करोड़ रुपये व्यय कर 37,613 योजनाओं को पूर्ण किया गया है।

266. आकांक्षी जिला कार्यक्रमः— नीति आयोग द्वारा राज्य के 13 आकांक्षी जिलों को अब तक कुल 225.93 करोड़ रुपये की राशि कर्णांकित की गयी है। नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त, 2024 की Overall Delta Ranking में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक एवं नवादा, सीतामढ़ी जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुआ।

267. आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रमः— 7 दिसम्बर को जारी पहली क्मसजं त्ंदापदह में बिहार के आंदर प्रखंड ने समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसके फलस्वरूप सीवान जिले के इस प्रखंड के लिए 1.50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि नीति आयोग द्वारा कर्णांकित की गई है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

268. भू—अभिलेखों का अद्यतनीकरण (विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम) कार्य हेतु बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 एवं संशोधन 2017 अधिनियमित किया गया है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 एवं संशोधन 2019 में आधुनिक तकनीक के उपयोग से अद्यतन सर्वे मानचित्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

269. सर्वे/री—सर्वे :— विशेष सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में कुल 445 अंचलों में विशेष सर्वेक्षण शिविर का गठन कर 37,384 राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है।

270. एन0एच0एक्ट, रेलवे एक्ट एवं पी0एम0 पैकेज से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा, पटना/लखीसराय/शेखपुरा जिलान्तर्गत हरोहर नदी से बालगुदर घाट परियोजना हेतु लगभग 533 एकड़ भूमि, सीतामढ़ी—शिवहर नई रेल लाईन हेतु लगभग 400 एकड़ भूमि, पटना IOCL हेतु 47 एकड़, गोड्डा—पीरपैंती न्यू

बी0जी0 रेल लाईन हेतु लगभग 95 एकड़ तथा एन0एच0 की विभिन्न परियोजनाओं भारतमाला, एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

271. अवैध शराब के संचालन को रोकने हेतु 84 चेकपोस्ट बनाये गये हैं। सभी चेकपोस्टों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा की व्यवस्था की गई है।

272. ″नशामुक्त बिहार″ थीम पर 01 दिसम्बर, 2024 को पटना मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस मैराथन में भारत के अतिरिक्त 6 देशों (पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, आस्ट्रेलिया, केन्या एवं इथियोपिया) के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

273. राज्य सरकार की ई–गवर्नेंस नीति तथा पेपरलेस कार्य को बढ़ावा देने के लिए विकल्प के रूप में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की Online Registration प्रणाली को लागू किया गया है। Online Registration के क्रम में online payment हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 1% अधिकतम राशि 2,000 रुपये मात्र तक की छूट दी जा रही है।

274. आई0डी0ए0 / बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि तथा औद्योगिक भू–खण्ड / शेड एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्र से बाहर निजी निवेशकों द्वारा उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ भूमि के दस्तावेजों में निबंधन पर लगने वाले स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में शत–प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है।

275. पैतृक / पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा विलेखों के निबंधन पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की देयता कम करते हुए स्टाम्प ड्यूटी 50 रुपये एवं निबंधन शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

276. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वर्तमान में लगभग 2 करोड़ पूर्वीकत्ताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

277. खरीफ विपणन मौसम 2024–25 में राज्य अंतर्गत किसानों से धान खरीद का निर्धारित लक्ष्य 45 लाख मे0 टन हेतु बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा PFMS के माध्यम से किसानों को 48 घन्टे के अन्दर राशि का भुगतान किया जा रहा है।

वित्त विभाग

278. समेकित वित्तीय प्रणाली के नया संस्करण CFMS 2.0 अंतर्गत विभिन्न मॉड्यूल्स को दिनांक 01.01.2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। केन्द्र प्रायोजित स्कीम हेतु Just in Time Release SNA-SPARSH मॉड्यूल को जनवरी, 2025 में लागू किया गया है।

279. वर्ष 2024–25 (तृतीय तिमाही दिसम्बर, 2024 तक) में प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत खोले गये 31.94 लाख खातों में 22,130 करोड़ रुपये जमा है।

280. MSME के अंतर्गत वर्ष 2024–25 (तृतीय तिमाही दिसम्बर, 2024 तक) में 1,03,238 करोड़ रुपये लक्ष्य के विरूद्ध 53,478 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं जो कि वार्षिक लक्ष्य का 51.80 प्रतिशत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने पूर्व में सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वित्तीय वर्ष 2024–25 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

Telegram-Shixadixa

क्र.सं.	विवरण	2024–25 का बजट पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रुपये)	2025–26 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रुपये)
1	कुल राजस्व प्राप्ति	244442.82	260831.44
2	राज्य सरकार का राजस्व	61625.86	67740.57
3	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	129434.93	138515.85
4	केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान	53382.03	54575.02
5	राजस्व व्यय	281230.45	252000.26
6	राजस्व बचत(–)/घाटा(+)	36787.62	–8831.18
7	पूंजीगत प्राप्ति	64170.87	56263.19
8	पूंजीगत व्यय	68587.06	64894.76
9	कुल प्राप्ति	308613.70	317094.63
10	कुल व्यय	349817.50	316895.02
11	राजकोषीय घाटा	82477.79	32718.31

समेकित निधि में राशि– वित्तीय वर्ष 2025–26 में सकल (Gross) व्यय 3,21,161.63 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें निवल (Net) व्यय 3,16,895.02 करोड़ रुपये है। विदित है कि विनियोग विधेयक में सकल (Gross) व्यय प्रस्तावित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में सकल व्यय 3,21,161.63 करोड़ रुपये में मतदेय राशि 2,72,798.80 करोड़ रुपये एवं भारित राशि 48,362.82 करोड़ रुपये है।

समेकित निधि में भारित राशि– वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट में 48,362.82 करोड़ रुपये भारित मद में व्यय होना प्रस्तावित है, जिसमें सूद मद में 23,013.94 करोड़

रुपये, लोक ऋण की मूलधन वापसी में 22,819.87 करोड़ रुपये, निक्षेप निधि में 2,000.10 करोड़ रुपये, माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 326.72 करोड़ रुपये, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 112.43 करोड़ रुपये, राज्यपाल सचिवालय हेतु 58.23 करोड़ रुपये, लोकायुक्त के लिए 8.41 करोड़ रुपये, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति/उप सभापति के वेतन एवं भत्ते मद हेतु 1.98 करोड़ रुपये एवं माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों के सेवानिवृति लाभ मद में 21.14 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।

राजकोषीय घाटा– राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। वर्ष 2025–26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2025–26 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 10,97,264 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजकोषीय घाटा 32,718.31 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय सदस्यों ने मेरा भाषण पूर्ण एकाग्रता से सुना है। इसके लिए मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं वर्ष 2025–26 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष उपस्थापित कर रहा हूँ।

****

बिहार सरकार
वित्त विभाग